भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 998
गुरुवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय मार्गों पर उपयुक्त विमानों की तैनाती

998. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को चेन्नई-थूथुक्कुडी और चेन्नई-तिरुचिरापल्ली जैसे अंतर-राज्यीय मार्गों पर यात्रियों की अधिक संख्या के बावजूद छोटे एटीआर विमानों की तैनाती के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की जानकारी है और यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का एयरलाइन ऑपरेटरों को ज़्यादा मांग वाले क्षेत्रीय मार्गों पर बड़े और अधिक उपयुक्त विमान तैनात करने का निर्देश देने या सलाह देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमान कंपनियों द्वारा पर्याप्त सेवा मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, भारतीय घरेलू विमानन क्षेत्र को विनियमनमुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें किसी भी विमान प्रकार के साथ क्षमता को शामिल करने और सेवा एवं परिचालन हेतु स्वैच्छा से किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, यह एयरलाइन प्रचालकों पर निर्भर करता है कि वे अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाईअड्डे से/हवाईअड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करें।

(ग): यात्री चार्टर हवाई यात्रा करते समय किसी यात्री के अधिकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में एक वृहत दस्तावेज है। उड़ान में देरी, रद्दकरण, अधिक बुकिंग होने के कारण बोर्डिंग से इनकार, रिफंड के मुद्दों, उड़ान मार्ग परिवर्तन, चिकित्सा आपात स्थिति, खोए/विलंबित या क्षतिग्रस्त सामान आदि सहित विभिन्न आपात स्थितियों के मामले में हवाई यात्रियों के अधिकारों के बारे में उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने 'यात्री चार्टर' जारी किया है। उड़ान परिचालन में देरी/रद्दकरण के कारण हवाई यात्रियों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने "बोर्डिंग से इनकार, उड़ानों के रद्दकरण और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" शीर्षक से नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) धारा 3, श्रृंखला एम, भाग IV जारी की है।

इसके अतिरिक्त, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) की पहल एयरसेवा पोर्टल समयबद्ध तरीके से शिकायत निवारण को सक्षम बनाती है और बाधा रहित हवाई यात्रा के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करती है। यह पहल यात्रियों को विभिन्न श्रेणी की शिकायतों जैसे रिफंड, रद्दकरण, बैगेज दावा, उड़ान में देरी आदि के तहत विभिन्न हितधारकों जैसे एयरलाइनों, हवाईअड्डों, सुरक्षा, डीजीसीए, सीमाशुल्क, आव्रजन, बीसीएएस, हेलीकॉप्टर सेवाओं से संबंधित शिकायतों को प्रस्तुत करने और उन्हें ट्रैक करने की प्रक्रिया को संभव बनाती है।

*****